न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 318/17 (RCMS No. 2017/00339) (76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. भरत लाल | पुत्र विजय नारायण
2. कमलेश |
3. रामकरणी | पुत्रियां विजय नारायण | जाति मीना निवासी ग्राम बांसला हाल निवासी ग्राम बेदेडिया तहसील
4. अमरकलां | चौथ का बरवाडा जिला स0मा0
5. चन्द्रकला |
6. रामकन्या वेवा विजय नारायण |
7. भेरू लाल पुरी पुत्र जगन्नाथपुरी जाति गोस्वामी निवासी ग्राम बांसला तहसीसल चौक्ा का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर सवाई माधोपुर
निर्णय दिनांक 18.04.2010

उपस्थितिः—

1. श्री बच्चू सिंह जाट वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः—29.12.2017**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 18.04.2010 के विरूद्व पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि नामान्तरकरण संख्या 37 से आराजी ख0 नं0 8/1, 8, 197, 217 किता 4 रकवा 24 बीघा 1 विस्वा वॉके ग्राम बॉसला तहसील व जिला सवाई माधोपुर, विजय नारायण पुत्र धन्ना जाति मीना सा0 बनेडिया, भेरू पुत्र जगन्नाथ गुसाई सा0 देह के स्थान पर राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 2/4/90/ 37 दिनांक 13.12.91 के अनुसार मन्दिर मूर्ती श्री लक्ष्मीनारायण जी खातेदार के नाम सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 01.08.97 को दर्ज किया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने जिला कलक्टर स0 मा0 के न्यायालय में इस आशय की अपील पेश की थी कि अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना, एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलान्ट के पूर्वज विजयनारायण का व अपीलान्ट सं0 7 का नाम हटाकर मंदिर मूर्ती के नाम खातेदार में दर्ज करने का आदेश दिया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। अपीलान्ट सं0 1 लगायत 6 के

पूर्वज विजयनारायण पुत्र धन्ना द्वारा विवादित आराजी को वर्ष 1968 में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तत्कालीन खातेदार से भूमि की वास्तविक कीमत देकर कब्जा प्राप्त किया था तभी से आराजी पर काबिज चले आ रहे है। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी को किसी रिकार्ड के इन्द्राज को तब्दील करने का अधिकार नही है। नामा0 में दर्ज अपीलान्ट संख्या 7 नामा0 में दर्ज आराजी का खातेदार है जो सैटिलमैन्ट के पूर्व से खातेदार की हैसियत से काबिज चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत् नही है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। पैरोकार सरकार ने कथन किया किया कि विवादित नामा0 राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13.12.91 की पालना में मंदिर मूर्ती के पक्ष में एएसओ स0मा0 द्वारा निर्णित किया है। उन्होंने अवगत कराया कि परिपत्र के बिन्दु सं0 4 में अंकित किया है कि भविष्य में जो जमाबन्दी राजस्व विभाग या बन्दोवस्त विभाग द्वारा बनाई जावे उनमें देवमूर्ती के साथ पुजारी या शिवायत का नाम नही लिखा जावे तथा प्रशासनिक सुविधा के लिये एक रजिस्टर मन्दिर के पुजारियों के संबंध में तहसील स्तर पर संलग्न प्रोफार्मा में अलग से रखा जावे जिसमें जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि है उनके पुजारियों के नाम का अंकन किया जावे तथा जो जमाबन्दी बन चुकी है तथा वर्तमान में प्रभावशाली है उनमें देवमूर्ती के साथ जहॉ भी पुजारी का नाम आया हो, वहॉ पुजारी का नाम विलोपित कर दिया जावे। ऐसी स्थिति में नामा0 सही दर्ज किया है। अपील खारिज की जावे। अधीनस्थ न्यायलाय ने परिपत्र की पालना में भरे गये नामा0 को सही मानते हुऐ अपील खारिज कर दी। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि विवादित आराजी अपीलान्ट सं0 1 लगायत 6 के पिताजी द्वारा वर्ष 1968 में जरिये रजिस्टर्ड वयनामा क्रय की है जिसका नामान्तरकरण दर्ज होकर जमाबन्दी में इन्द्राज हो गया है। आराजी क्रय करने के बाद पूर्व में अपीलान्ट के पिताजी जयनारायण पुत्र धन्नालाल बहैसियत काबिज काश्त खातेदार काबिज रहे। उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान अपीलान्ट सं0 1 लगायत 6 काबिज काश्त है। अपीलान्ट का नाम निरस्त करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का मौका नही दिया। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी को सेटिलमेन्ट से पूर्व के इन्द्राज में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नही है। इसके बाबजूद भी बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के जो निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत् नही है। अपीलान्ट सं0 7 जो मूल खातेदार व मन्दिर का पुजारी है तथा सैटिलमेन्ट से पूर्व खातेदार की हैसियत से काबिज चला आ रहा है, जिसे बिना सुनवाई व जबाब का अवसर दिये उसके अधिकारों को समाप्त करने का निर्णय विधि विरूद्ध है। सैटिलमैन्ट विभाग ने किसी को कोई सूचना नोटिस जारी नही किया। एकतरफा में अपीलान्ट की खातेदारी को समाप्त कर मन्दिर के नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल निर्णय होने के बाबजूद भी विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर हर दो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त किये जावे।

विद्धान राजकीय अभिभाषक का तर्क है कि विवादित आराजी मूर्ती मंदिर के नाम थी जिसमें पुजारियों का नाम दर्ज कर दिया गया था। राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प.2/4/90/37 दिनांक 13.12.1991 के बिन्दु सं0 4 में अंकित किया है कि भविष्य में जो जमाबन्दी राजस्व विभाग या बन्दोवस्त विभाग द्वारा बनाई जावे उनमें देवमूर्ती के साथ पुजारी का नाम नही लिखा जावे। पुजारी का नाम विलोपित कर करने के निर्देश हैं। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने उक्त परिपत्र की पालना में ही नामा0 दर्ज किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नामा0 को सही मानने में किसी प्रकार की अवैधानिकता नही की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अत5 अपील खारिज की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी विजय नारायण पुत्र धन्ना जाति मीना सा0 बनेदिया व भेरू पुत्र जगन्नाथ गुसाई सा0 देह के नाम दर्ज थी। राजस्व सरकार के परिपत्र क्रमांक प.2/4/90/37 दिनांक 13.12.91 से सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सवाई माधोपुर ने मन्दिर मूर्ती श्री लक्ष्मीनारायण जी खातेदार के नाम दर्ज करने के आदेश नामा0 सं0 37 पर दिये हैं। अपीलान्ट का यह कथन उचित नही है कि सहायक भू प्रबन्ध विभाग को इन्द्राज बदलने का अधिकार नही है। यह सही है कि भू प्रबन्ध विभाग को राजस्व इन्द्राज बदलने का अधिकार नही है किन्तु वन्दोवस्त संक्रियाऐं जिस तहसील में चल रही है यदि उस दौरान किसी न्यायालय का निर्णय भू प्रबन्ध विभाग को प्राप्त होता है या राज्य सरकार का कोई परिपत्र प्राप्त होता है तो उसकी पालना में इन्द्राजों को बदलने का अधिकार भू प्रबन्ध विभाग को है। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने राज्य सरकार के परिपत्र की पालना में ही नामान्तरकरण तस्दीक किया है, जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। हर दो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय सही हैं। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। हर दो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.08.97 एवं 18.04.16 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official